कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक- 28 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 03-07- 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा ग्राम–कोटा में जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण एवं 5715 वृक्षो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय के पत्रांक–3644/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–23.4.2018, पत्रांक–3815/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–05.05.2018, आपका पत्रांक–5061/ मी0क्षे0/33 दिनांक–30.04.2018, में0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 का पत्र संख्या– 02.04.2018 तथा दिनांक रहित पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक–10.05.2018 को प्राप्त है।

महोदय,

विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय के याचिका संख्या 1061/1982 में पारित निर्णय दिनांक–20.11.1986 के क्रम में हुयी सर्वे रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही (वर्ष 1992–93) में जे0पी0एसोसिएट्स लि0 से सम्बन्धित कुल 1083.203 हे0 (599.183 ओबरा वन प्रभाग, 230.844हे0 सोनभद्र वन प्रभाग एवं 253.776हे0 कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीजरजापुर से सम्बन्धित है) क्षेत्र में से सोनभद्र वन प्रभाग का ग्राम–मकरीबारी का 230.844हे0 छोड़कर शेष क्षेत्र के सम्बन्ध में वन वन्दोवस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका था, जिसकी पुष्टि अपर जिला जज द्वारा की गयी। उक्त भूमि पर विधिक कब्जा पाने हेतु जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 की तरफ से जनवरी 2007 में मा0 एफ0एस0ओ0 न्यायालय में धारा–7/11 एवं 9/11 के अन्तर्गत वाद दाखिल किया गया, जिस पर वन वन्दोवस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा सर्वे रिकार्ड आपरेशन की कार्यवाही में वन विभाग के पक्ष में पूर्व में निर्णित क्षेत्र को धारा 4 से पृथक कर राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। जिसकी पुष्टि जिला जज द्वारा भी कर दिया गया। वर्ष 2008 में जे0पी0 एसोसिएट्स के क्लेम के आधार पर धारा–4 की विज्ञप्ति से पृथक किये गये क्षेत्रों को छोड़कर विज्ञप्ति संख्या–4952/14–2–2008–20(17)/2008 दिनांक–25.11.2008 से ग्राम–कोटा तथा विज्ञप्ति संख्या–4953/14–2–2008–20(17)/2008 दिनांक–25.11.2008 से ग्राम–ओबरा पनारी का भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया। जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अनाधिकृत रुप से वन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्ति द्वारा सी0ई0सी0 में शिकायत दर्ज करायी, जिस पर सी0ई0सी0 द्वारा सम्बन्धित पक्षो से रिपोर्ट/आख्या मांगी गयी। पक्षो द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करनें के उपरान्त सी0ई0सी0 द्वारा अपनी संस्तुति मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। जिसका संज्ञान में लेते हुए, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय में रिट संख्या–2469/2009

–पेज 2 पर–

दाखिल की गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। जिसके क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0 नं0 1166/2015 में दिनांक–04.05.2016 को जे0पी0एसोसिएट्स लि0 से सम्बन्धित कुल 1083.203 हे0 (जिसमें से ओबरा वन प्रभाग का 599.183हे0 है) क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–04.05.2016 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ग्राम–कोटा, ओबरा पनारी व पड़रछ (आंशिक) का पुनः विज्ञप्ति संख्या–1142/14–2–2016–20(4)/2016 दिनांक–23.06.2016, विज्ञप्ति संख्या–1141/14–2–2016–20(3)/2016 दिनांक–10.06.2016 तथा विज्ञप्ति संख्या–1140/14–2–2016–20(2)/2016 दिनांक–10.06.2016 से भारतीय वन अधिनिमय 1927 की धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–30.05.2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः–

In addition the Applicant has also prayed that a direction be issued that all recommedndations of the State Government and all approvals of the Central Government under Section 2 of the Forest Conservation Act and renewal and transfer of all the mining leases by the State Government be carried out in a time bound manner and not later than 3 months from the date of filing of the application by the applicant complete in all respect.

We find that as this matter has been pending from 2006 onwards, there should be a direction for disposal of the recommendations under Section 2 of the Forest Conservation Act and renewal and transfer of mining lease, if any, be carried out within a period of 6 months from the date of filing of the Application.

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–30.05.2016 के अनुपाल में मे0 जे0पी0एसोसिएट्स लि0, डाला द्वारा मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय से आच्छादित ओबरा वन प्रभाग के ग्राम–कोटा में आवासीय क्षेत्र व जे0पी0 सुपर सीमेन्ट प्लान्ट स्थापना हेतु 115.874हे0 क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के तहत वन भूमि हस्तान्तरण का पूर्ण प्रस्ताव दिनांक–02.04.2018 द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया था, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक– 3644/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–23.4.2018 द्वारा चार प्रतियों में आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव से सम्बन्धित 15 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए प्रस्ताव मूल में वापस कर दिया गया, महोदय द्वारा लागायी गयी आपत्ति का निराकरण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–3815/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–05.05.2018 द्वारा मे0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 से अनुरोध किया गया। उनके द्वारा दिनांक रहित पत्र के माध्यम से आपत्तियों का निराकरण करते हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करनें पर पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि से सम्बन्धित उद्धरण खतौनी व मानचित्र पर प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के हस्ताक्षर नहीं थे। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–4486/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–15.06.2018 द्वारा पुनः प्रस्ताव 05 प्रतियों में संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर से हस्ताक्षर

–पेज 3 पर–

A

कराने हेतु प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक–29.06.2018 द्वारा निम्नानुसार समस्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए पुनः प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है:–

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	प्रस्ताव में संलग्नक अभिलेख सही क्रम में नहीं लगे हैं।	संलग्नक अभिलेख सही क्रम में लगा दिया गया है।
2	प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम 2006 की जिला स्तरीय एवं उप जिला स्तरीय की कार्यवाही की कायर्कवाही संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है। पृष्ठ संख्या 53–76 पर संलग्न है।
3	प्रस्ताव में संलग्न गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा चिन्हित व प्रमाणित नहीं है।	चिन्हित कर प्रमाणित कर दिया गया है। जो पृष्ठ संख्या 89–93 पर संलग्न है।
4	प्रस्ताव में मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण तथा Reclamation-plan संलग्न नहीं है।	मक डिस्पोजल योजना सम्बन्धी प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 103–104 पर संलग्न है।
5	प्रस्ताव में इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना नहीं की गयी है।	एन0पी0वी0 की गणना पृष्ठ संख्या 135 पर संलग्न है।
6	प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
7	प्रस्तावित वन भूमि का जियो रिफरेस्ड डीजिटल मैप जो के0एम0एल0 शेप फाईल में हो, की सी0डी0 संलग्न नहीं है।	सी0डी0 संलग्न है।
8	क्षतिपूरक वनीकरण का जियो रिफरेन्सड मैप जो के0एम0एल0 शेप फाइल में हो, की सी0डी0 संलग्न नहीं है।	सी0डी0 संलग्न है।
9	यदि भूमि लीज पर दी जानी हो तो लीज की अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वन भूमि का मूल्य, लीज रेंट व प्रीमियम का निर्धारण का आकलन नहीं है।	लीज सम्बन्धी प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या 77 पर तथा सर्किल दर के अनुसार लीज रेंट व प्रिमीयम व लीज रेंट कर निर्धारण पृष्ठ संख्या 136 पर संलग्न है।
10	प्रस्ताव में संलग्नक पृष्ठ संख्या 202 पर खतौनी सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	संलग्न खतौनी पर प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य प्रभाग मीरजापुर से हस्ताक्षरित करा लिया गया है, जो पृष्ठ संख्या 113–118 पर संलग्न है।

1	2	3
11	प्रश्नगत परियोजना में कुल 5713 वृक्ष प्रभावित पृष्ठ संख्या 48 पर उल्लेख है जबकि पृष्ठ संख्या 49 से 163 तक सूची के अनुसार 5715 वृक्ष योग करने पर आ रहा है, स्पष्ट करें।	पूव में संलग्न किये गये प्रभावित वृक्षों के सारांश में प्रभावित 5713 वृक्ष का उल्लेख किया गया था, परन्तु वास्तव में 5715 वृक्ष प्रभावित हो रहें है, जिसका विवरण पृष्ठ संख्या 138–254 पर संलग्न है।
12	भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली प्रस्ताव की प्रति भारत सरकार के पत्रांक– 11–360 /2010–एफसी दिनांक–17.11.2016 जिसकी छायाप्रति संलग्न है, के अनुसार प्रेषित की जाय। छायाप्रति मान्य नहीं है।	भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली प्रस्ताव में सभी अभिलेख मूल में संलग्न कर दिये गये हैं।
13	सम्बन्धित परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित भारत सरकार के पत्रांक–एफ0नं0 7–69/2011–एफसी(पीटी) दिनांक–01.08.2017 द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।	लागत लाभ विश्लेषण पृष्ठ संख्या 45–51 पर संलग्न है।
14	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 39 पर उल्लिखित गाटा संख्या–933क है जबकि पृष्ठ संख्या 180 पर संलग्न धारा 20 की गजट में 933 है। इसी प्रकार गाटा संख्या 3202 में 12.850हे0 एवं गजट में 3202 में 14.350हे0 उल्लेख है। अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाय।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न लैण्ड शैडयूल में 933क है, जबकि पृष्ठ संख्या 89–93 पर संलग्न धारा 20 के गजट नोटिफिकेशन में 933 है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि धारा 20 के गजट नाटिफिकेशन में त्रुटिवश 933 का उल्लेख हो गया है, जब कि वास्तव में 933क है तथा इसी प्रकार गाटा संख्या 3202 का कुल भू–भाग 14.350हे0 ही है, इसका 12.850हे0 क्षेत्र ही इस प्रस्ताव में लिया गया है, शेष 1.50 हे0 क्षेत्र में0 जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 के खनन सम्बन्धी प्रस्ताव संख्या–FP/UP/MIN/22437/2016 के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।
15	वन अधिकार अधिनियम 2006 ग्राम–कोटा व पड़रछ की भी कार्यवाही संलग्न की जाय।	वन अधिकार अधिनियम 2006 ग्राम–कोटा व पड़रछ की भी कार्यवाही के अभिलेख पृष्ठ संख्या 53–76 पर संलग्न है।

अतः आपको प्रस्ताव की चार प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से उच्च स्तर पर प्रेषित करनें की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मूल चन्द्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C